कार्यालय अध्यक्ष नगर विकास न्यास (कलक्टर) भरतपुर

अपील/आरटीआई/29/2020

राजबीरसिंह पुत्र श्री बच्चूसिंह, निवासी विजय नगर कालोनी,सारस चौराहे के पास भरतपुर ।

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 05.03.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट राजबीरसिंह पुत्र श्री बच्चूसिंह, निवासी विजय नगर कालोनी,सारस चौराहे के पास भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 06.12.2019 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/156 दिनांक 24.02.2020 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/3022 दिनांक 03.03.2020 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से वांछित सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/3022 दिनांक 03.03.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा अपने कथनों की ताईद में पत्र कमांक/7051 दिनांक 26.12.2019 की प्रति भी संलग्न की गई हैं। रेस्पो ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई दी गई हैं ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति) भेजी जावे। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर को भी प्रेषित की जावे।

(नथमल डिडेल)
अध्यक्ष, नगर विकास न्यास
(कलक्टर) भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:50:23 IST
Reason: SelfAttested